राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), शासन सचिवालय, जयपुर
Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com

क्रमांकः एफ 40(91)ग्रावि / नरेगा / कन्वर्जेंस–खेल विभाग / 2015 जयपुर, दिनांक 18 AUG 2015

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलेक्टर,
समस्त राजस्थान

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मॉडल स्कूलों में खेल मैदान के विकास एवं वृक्षारोपण बाबत।

प्रसंग :– विभागीय पत्र क्रमांक क्रमांकः एफ 40(91)ग्रावि / नरेगा / कन्वर्जेंस–खेल विभाग / 2015 दिनांक 03.06.2015

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा मॉडल स्कूलों के खेल मैदान के विकास एवं वृक्षारोपण के कार्य वर्ष 2015–16 की कार्ययोजना में सम्मिलित कर कार्य कराने के निर्देश दिये गये थे। "नींव–शिक्षा का सवाल अभियान" द्वारा अन्य विद्यालयों के खेल मैदानों के विकास किये जाने हेतु अनुरोध किया है। इस संबंध में लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की दिनांक 03.01.14 को संशोधित अनुसूची 1 के बिन्दु सं. 4(1) IV (iii) अनुसार खेल के मैदानों का संनिर्माण अनुमत है।

विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 29.04.15 द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के युवा मामले एवं खेल विभाग की राजीव गांधी खेल अभियान (RGKA) से कन्वर्जेंस कर पंचायत समिति स्तर पर खेल मैदान विकसित किये जाने के संबंध में भी दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

चूंकि खेल के मैदानों का संनिर्माण महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के तहत अनुमत कार्यों की श्रेणी में है तथा ग्राम पंचायत कार्यकारी संस्था होने की स्थिति में श्रम–सामग्री का अनुपात 60:40 ग्राम पंचायत स्तर पर एवं अन्य लाईन विभाग कार्यकारी संस्था होने पर यह अनुपात जिला स्तर पर संधारित किये जाने का प्रावधान है। अतः आप द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों के खेल मैदानों के विकास हेतु कार्य योजना बनाकर कार्यवाही सम्पादित की जा सकती है। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत निम्न प्रकार के कार्य खेल मैदान के विकास हेतु किये जा सकते हैं :–

1. मैदान का समतलीकरण का कार्य।
2. मैदान के चारों ओर सुरक्षा हेतु डिच–कम–बण्ड फैन्सिंग / ड्राई स्टोन वॉल (पहाड़ी क्षेत्र जहां पत्थर आसानी से उपलब्ध हों)।
3. डिच–कम–बण्ड फैन्सिंग / ड्राई स्टोन वॉल के किनारे वृक्षारोपण एवं पाँच वर्ष तक रख–रखाव का कार्य (वृक्षों की प्रजातियां इस प्रकार की हों कि मैदान में खेली जाने वाली गतिविधियों में व्यवधान ना हो)।
4. बॉलीवाल, बास्केटवाल, क्रिकेट, कबड्डी, रेसिंग ट्रेक, खो–खो इत्यादि हेतु आधार का कार्य।
5. वर्षा जल संग्रहण ढांचा।

खेल मैदानों में अतिरिक्त सुविधाएं / संसाधन अथवा मूल्य संवर्धन (Value Addition) हेतु अन्य योजनाओं से कन्वर्जेन्स किया जा सकता है। खेल मैदानों के विकास हेतु राज्य स्तर पर तैयार किया गया एक मॉडल डिजाईन मार्गदर्शन हेतु संलग्न है।

भवदीय
17/8/15
(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

संलग्न–: उपरोक्तानुसार

PTO

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, सचिवालय जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास
4. निजी सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, ब्लाक–5, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज
6. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस
7. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
8. अधिशाषी अभियन्ता (ईजीएस), जिला परिषद, समस्त।
9. श्री निखिल डे, नींव–शिक्षा का सवाल अभियान, एफ–14, मधुवन कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर को उनके पत्र दिनांक 15.06.2015 के क्रम में सूचनार्थ।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

अभिनव पहल (खेल मैदान का विकास)